



2026:AHC:128033

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20751 सन 2026

भिक्वी

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपरीत पक्ष(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार मिश्र

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 134 सन 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत थाना- मगोरा, जिला- मथुरा में दर्ज है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मुकदमे में झूठा फँसाया गया है। आवेदक को ओर से यह भी कहा गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ तीन मुकदमे दिखाए गए हैं और सभी मुकदमों में आवेदक जमानत पर है। गैंग चार्ट में बताए गए मुकदमा के अलावा, आवेदक का तीन मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में जमानत आवेदन में काफी हद तक बताया गया है।

4. उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रथम सुचना रिपोर्ट की बात हो रही है, उसमें आवेदक पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और इसी तरह के अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ हासिल करने के आरोप अस्पष्ट हैं। साथ ही, यह भी कहा गया कि आरोपी की किसी ऐसी हरकत या चूक के आरोप के बिना, जो इस अधिनियम की धारा 2 के तहत "गैंग" और "गैंगस्टर" की परिभाषा में आती हो, कोई प्रथम सुचना रिपोर्ट नहीं की जा सकती। इस मुकदमे में, प्रथम सुचना रिपोर्ट लंबित आपराधिक मुकदमा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(मुकदमों) पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप(आरोपों) या ऐसे तथ्य की खोज पर, जिसका समाज पर गंभीर असर पड़ा हो, जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल नागरिकों से बदला लेने, उन्हें परेशान करने या डराने-धमकाने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब-किताब बराबर करने के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता।

6. उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में ऐसा लगता है कि ज़िला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने या सरकार या सत्ताधारी पार्टी के उच्च अधिकारियों से तारीफ़ या सराहना पाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल किया है, जो गलत है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर बताए गए मुकदमों के तथ्यों को देखते हुए, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और वह ज़मानत पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ज़मानत पर रहने के दौरान आवेदक न तो कोई अपराध करेगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेगा।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक इस मुकदमे में 14.5.2026 से जेल में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह कानून की प्रक्रिया से भाग जाएगा या विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं होगा; साथ ही, अभिलेख पर मौजूद सबूत/सामग्री इतनी मज़बूत नहीं है कि यह माना जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में बताए गए अपराधों का दोषी है।

9. इस परिस्थिति में, आवेदक ज़मानत का हकदार है। ज़मानत मिलने पर, वह ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत देने के आवेदन का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से यह माना है कि गैंग चार्ट में बताए गए मुकदमों में आवेदक ज़मानत पर है। हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गैंग का सदस्य है और आदतन अपराधी है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसी ही असामाजिक गतिविधियों में शामिल होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर और डरा-धमकाकर ज़मानत का गलत इस्तेमाल करेगा।

11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"(4) संहिता में दी गयी किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत सज़ा-योग्य अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में है, ज़मानत या अपने व्यक्तिगत बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि--

(अ) अभियोजन अधिवक्ता को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का मौका न दिया गया हो, और

(ब) जहाँ अभियोजन अधिवक्ता आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि यह मानने के उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) को ध्यान में रखते हुए, मैंने अभिलेख पर मौजूद सबूतों, गैंग-चार्ट में बताए गए अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक के आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

13. भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713, मामले में यह तय किया गया था कि संविधान के भाग III में दी गयी आज़ादी के दायरे में न केवल सही प्रक्रिया और निष्पक्षता आती है, बल्कि न्याय तक पहुँच और तेज़ी से मुकदमा चलना भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय लीगल एड कमिटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिज़नर्स बनाम भारत संघ मामले में यह तय किया गया था कि मुकदमा चलने तक विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी व्यक्ति को अपने कामों के बुरे नतीजों का सामना तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के सामने वे साबित न हो जाएँ। हालाँकि, असल ज़िंदगी की व्यावहारिकताओं के कारण—जहाँ प्रभावी मुकदमा सुनिश्चित करना और मुकदमे के दौरान किसी संभावित अपराधी के खुले घूमने से समाज को होने वाले जोखिम को कम करना ज़रूरी होता है, न्यायालयों को यह तय करना होता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान रिहा किया जाए या नहीं। जब यह साफ़ हो जाता है कि समय पर मुकदमा चलना संभव नहीं होगा और आरोपी ने काफी समय तक जेल में बिताया है, तो न्यायालय आम तौर पर उन्हें ज़मानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होती हैं।

14. ऊपर बतायी गयी पक्षकारों की दलीलों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य और शीर्ष न्यायालय के निर्णयों, दताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (2018) 3 एससीसी 22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई व अन्य एस.एल.पी.(क्रि.) संख्या 5191 of 2021, पर विचार करने के बाद, और मुकदमे के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, ज़मानत आवेदन मंज़ूर किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक भिक्की को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि:

(i) आवेदक यह लिखित वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकती है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है और अपनी मौजूदगी पक्की करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी किया जा सकता है और अगर आवेदक ऐसे उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के मुताबिक, धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने उन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा जो (1) मुकदमा शुरू करने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/ 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई हैं। अगर विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की गैरहाजिरी जानबूझकर या बिना किसी खास वजह के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की गलती को जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मानना और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करना खुला होगा।

16. ऊपर दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन के मुकदमे में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह साफ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में जानकार विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17 जून, 2026

कुमार मनीष

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"